राजस्थान सरकार
कार्यालय उप जिला कलेक्टर, रोहट

क्रमांक/राजस्व/12/2886 दिनांक 26.10.12
प्रति –

1. तहसीलदार,
   रोहट
2. प्रधानाचार्य,
   राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोहट

विषय : मॉडल स्कूल को आवंटित भूमि का सीमांकन कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलेक्टर महोदय पाली के पत्रांक विकास/2012/1868 दिनांक 18.10.12 द्वारा अवगत कराया गया है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर के प्रावधानानुसार जिले के सभी ब्लॉक्स में मॉडल स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके लिए प्रत्येक ब्लॉक मे भूमि आवंटन हो चुका है। निदेशक रा.मा.शि.प. जयपुर द्वारा विद्यालय निर्माण की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी की जा रही है। रोहट ब्लॉक में मॉडल स्कूल के लिए आवंटित भूमि का सीमांकन किया जाना है। अतः मॉडल केन्द्र प्रभारी एवं प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि.(ब्लॉक स्तरीय) की उपस्थिति में आवंटित भूमि का सीमांकन की कार्यवाही सुनिश्चित कराये। ताकि सीमांकित भूमि को पत्थर की मुड्डी लगाकर संरक्षित किया जा सके।

अतः इस संबंध में अविलम्ब पालना कर, आपके स्तर पर संपादित कार्यवाही से अवगत कराये।

उप जिला कलेक्टर,
रोहट